न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 19 / 1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11 / 14)

1. सरकार

बनाम

1. भागीरथ पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. बीरबल पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. बीरबल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. नन्दराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. नेतराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. लालचन्द पटवारी पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. वेदप्रकाश पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. राजकीय अधिवक्ता
2. अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं

आदेश दिनांक : 27.10.2020

प्रस्तुत शिकायत का सार है :–

1. अप्रार्थी भागीरथ पुत्र हेतराम ने चक लखाटीबा में मुरब्बा नम्बर 153 के 25.00 बीघा बारानी एवं मुरब्बा नम्बर 340 के 25.00 बीघा कुल 50.00 बीघा बारानी नाजायज तरीके से भूमि टी0सी0 पर था अलाट करवा रखी है जबकि भागीरथ के पिता के पास 12.50 बीघा नहरी वा 25.00 बीघा बारानी भूमि माता के नाम से है और भी काफी भूमि में इतनी भूमि होते हुए भी सरकार को धोखा देकर उक्त भूमि पर कब्जा नाजायज कर रखा है।
2. अप्रार्थी बीरबलराम पुत्र टीकूराम ने चक लखाटीबा के मुरब्बा नम्बर 492 के 25 बीघा बारानी वा मुरब्बा नम्बर 493 के 16.10 बीघा बारानी नाजायज तरीके से भूमि टी0सी0 पर वा अलोट करवा रखी है जबकि बीरबल के पिता टीकूराम के नाम से चक 16 पीएस में 100 बीघा नहरी भूमि है और भी भूमि है। इतनी भूमि होते हुए भी सरकार को धोखा देकर उक्त भूमि पर कब्जा नाजायज तरीके से कर रखा है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

3. बीरबल पुत्र सहीराम के नाम चक लखाटीबा के मुरब्बा नम्बर 266 के 25.00 बीघा बारानी भूमि नाजायज तरीके से भूमि टी0सी0 पर अलॉट करवा रखी है वा खुद के नाम से 25 बीघा नहरी गोमावाली में है इतनी भूमि होते हुए भी सरकार को धोखा देकर उक्त भूमि पर कब्जा नाजायज तरीके से कर रखा है।
4. नन्दराम पुत्र टीकूराम के नाम से लखाटीबा में मुरब्बा नम्बर 457 के 25.00 बीघा नहरी वा मुरब्बा नम्बर 493 के 8.10 बीघा बारानी वा मुरब्बा नम्बर 495 के 8.10 बीघा बारानी भूमि टी.सी. वा अलॉट करवा रखी है वा खुद के नाम से ओर भूमि काफी है वा पिता के नाम से भी राजस्थान कैनाल में भूमि है। इतनी भूमि होते हुए भी सरकार को धोखा देकर उक्त भूमि पर कब्जा नाजायज तरीके से कर रखा है।
5. नेतराम पुत्र टीकूराम के नाम से चक लखाटीबा के मुरब्बा नम्बर 494 के 16.10 बीघा बारानी भूमि नाजायज तरीके से भूमि टी0सी0 पर आलॉट करवा रखी है वा खुद नौकरी करता है साथ में पिता के नाम से भी काफी भूमि है इतनी भूमि होते हुए भी सरकार को धोखा देकर उक्त भूमि पर कब्जा नाजायज तरीके से कर रखा है।
6. लालचन्द पटवारी पुत्र सुरजाराम ने अपनी औरत के नाम से चक लखाटीबा में 25 बीघा बारानी भूमि टी0सी0 पर अलॉट करवा रखी है वा साथ में लालचन्द के पिता के नाम से काफी भूमि है और इतनी भूमि होते हुए सरकार को धोखा देकर उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है।
7. वेदप्रकाश पुत्र दौलतराम के नाम से चक लखाटीबा के मु0न0 .. के 25 बीघा बारानी भूमि है एवं पिता के नाम से 50 बीघा नहरी भूमि है। इतनी भूमि होते हुए भी सरकार को धोखा देकर उक्त भूमि पर कब्जा नाजायज तरीके से कर रखा है।

अप्रार्थीगण ने सरकार को धोखा देकर काफी भूमि नाजायज तरीके से टी0सी0 पर करवा लेते है जबकि इनके पास काफी भूमि है। हम गरीब हरीजनो के पास में कोई भूमि नहीं हैं। अतः अप्रार्थीगण की भूमियों की जांच करके उक्त रकबा खारिज फरमाया जाकर भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि अलॉट की जावें।

पत्रावली का संधारण दिनांक 07.11.1985 को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा किया गया। आदेशिका दिनांक 03.06.1991 से विस्तृत जांच कर अपना प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख सहित अन्तिम आदेशार्थ इस न्यायालय को प्रस्तुत करने हेतु किया। आदेशिका दिनांक 07.07.1997 में जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 27.05.1997 से शिकायत पत्रावलीयों की सुनवाई जिला कलक्टर महोदय द्वारा की जानी है। अतः पत्रावली जिला कलक्टर महोदय को मुन्तकिल की गई। आदेशिका दिनांक 03.01.1998 द्वारा कार्य विभाजन पर पत्रावली दिनांक 19.01.1998 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के पंजीबद्व हुआ।

जिला कलक्टर ,श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 03.01.1998 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब लालचन्द पटवारी, पटवार हल्का भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर दिनांक 26.12.1985 में अंकित किया है कि प्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र चनण सिंह ने जो शिकायत की है कि लालचन्द पटवारी ने अपनी पत्नी

५

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

के नाम से 25.00 बीघा रकबा टी0सी0 पर ले रखा है वह बिल्कुल झूठी वा बेबुनियाद है। मेरी पत्नी व मेरे स्वयं के नाम से कोई रकबा टी0सी0 पर नहीं है इसलिए नोटिस दाखिल दफ्तर किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नेतराम,नन्दराम, बीरबलराम पिसरान टिकूराम जाति जाट निवासी लखाटिबा तहसील रायसिंहनगर दिनांक 28.06.1988 के अनुसार नेतराम को लखाटिबा का खसरा संख्या 494 में 16.10 बीघा बारानी सन् 1972 में आवंटित हुई थी, जिसकी रकम राज दफ्तर दाखिल हो चुकी है। इसी तरह से बीरबलराम वा नन्दराम को भी बारानी भूमि आवंटन हुई और उसकी भी सनद जारी हो चुकी है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14/4 के अन्तर्गत निरस्त नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की मेहनत कर रूपया खर्च कर कृषि योग्य बनाई है। प्रार्थीगण ने यह आवंटन किसी भी प्रकार कोई तथ्य छुपाकर, धोखा देकर वा गलत ढ़ग से नहीं कराया, बल्कि आवंटन के सही अधिकारी है। शिकायतकर्ता ने पार्टी बाजी के कारण झूठी शिकायत की है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि यह शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें तथा प्रार्थी का आवंटन भाल रखा जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांकः विविध/87/1330 दिनांक 03.12.1987 में अंकित किया कि रिपोर्ट पटवारी के अनुसार चक लखाटीबा का मुरब्बा नम्बर नया 59 का 6.325 हैक्टर बारानी भूमि नन्दराम पसुत्र फताराम कौम जाट साकिन लखाटिबा सम्वत् 2043 फसल रबी के अनुसार नाजायज काश्त की हैसियत से काबिज है। फसल खरीफ 2044 में उक्त रकबा काश्त नहीं हुआ। बीरबलराम के जायज वारिसों के सम्बन्ध में बीरबल की वलदियत व सकूनत अंकित करने की कृपा करें ताकि उक्त बीरबल के जायज वारिसों की सूची पेश की जा सकें। अतः मुरब्बा नम्बर पुराना 49 मुताबिक रिकॉर्ड 3.163 हैक्टर बारानी वीरसिंह पुत्र हरदत सिंह कौम जटसिख सा0 28 आर.बी. के सम्वत् 2043 में टी.सी. है व इसी मुरब्बा के 3.163 हैक्टर बारानी रकबा बलवीर सिंह पुत्र हरदिता सिंह कौम जटसिख सा. 28 आर.बी. सम्वत् 2043 रबी में बैहैसियत नाजयज काश्त है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांकः भू0अ0/97/2051 दिनांक 30.06.1997 में अंकित किया कि चक लखाटिब्बा का मुरब्बा नम्बर 153 का 4.048 हैक्टर बारानी सुलतान पुत्र हेतराम जाति जाट व 2.277 नन्दकिशोर पुत्र मदनलाल जाति जाट के नाम से गैरखातेदारी है। मुरब्बा नम्बर 340 का 6.325 हैक्टर पारी बेवा मुखराम जाट व मुरब्बा नम्बर 492 का 6.325 हैक्टर बारानी रामूराम पुत्र डालूराम जाति जाट सा0 82 आर.बी. को पुख्ता आवंटन दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 493 का 6.325 हैक्टर हजारी पुत्र ख्यालीराम जाट के नाम से खातेदारी है। मुरब्बा नम्बर 266 का 6.325 हैक्टर बलराम पुत्र परतुराम के नाम आरजी काश्त पर है। मुरब्बा नम्बर 457 का 6.325 हैक्टर बारानी गंगाराम, लिछमण राम, नारायण पिसरान अमीचन्द कौम जाट साकिन खांटा को पुख्ता आवंटन है। मुरब्बा नम्बर 494 का 5.566 हैक्टर बारानी रजीराम पुत्र मनफूल जाट को पुख्ता आवंटन है। तथा इसी मुरब्बा का 0.759 हैक्टर आराजी राज दर्ज है तथा मुरब्बा नम्बर 495 का 6.325 हैक्टर बारानी टीकूराम पुत्र ईसरराम जाट साकिन 36 पीएस के नाम से खातेदारी दर्ज है। मौके पर खातेदार व गैरखातेदार का स्वयं का कब्जा काश्त है। रकबा बैय नहीं किया गया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

लालचन्द पुत्र सुरजाराम , लालचन्द की औरत व प्रकाश पुत्र दौलतराम के नाम कोई रकबाा .नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांकः भू0अ0/ 1929 दिनांक 04.06.1998 में अंकित किया कि मुताबिक रिकॉर्ड श्री सुलतान पुत्र हेतराम कौम जाट को 4.043 हैक्टर श्रीमान उपजिलाधीश महोदय रायसिंहनगर के आदेश कमांक 342 दिनांक 18.05.1992 द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया है।

श्रीनन्दकिशोर पुत्र मदनलाल जाति जाट को 2.277 हैक्टयर रकबा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय रायसिहनगर के आदेश कमांक 15.05.1992 द्वारा आवंटन किया गया है।

मु0 पारी बेवाह मुखराम कोम जाट को 6.325 हैक्टयर रकबा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय रायसिहनगर के आदेश कमांक 18.07.1992 द्वारा आवंटन किया गया है।

हजारी वल्द ख्यालीराम कौम जाट को 6.325 हैक्टर रकबा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 8473 दिनांक 6.10.1971 द्वारा आवंटन किया गया है।

श्रीगंगाराम, लिछमण,नारायण पिसरान अमीचन्द कौम जाट को 6.325 हैक्टर रकबा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय रायसिहनगर के आदेश कमांक 927 दिनांक 13.02.1991 द्वारा आवंटन किया गया है।

श्री रजीराम वल्द मनफूल जाति जाट को 5.566 हैक्टयर रकबा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 1493 दिनांक 15.10.1994 द्वारा आवंटन किया गया है।

श्री टीकूराम वल्द ईशरराम जाति जाट को 50 बीघा रकबा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 8485 दिनांक 06.10.1971 द्वारा आवंटन किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत विवादित रकबा जिन व्यक्तियों के नाम आवंटन होना बताया है वह रकबा तहसीलदार रिपोर्ट कमांक कमांकः भू0अ0/ 97/2051 दिनांक 30.06.1997 एवं कमांकः भू0अ0/ 1929 दिनांक 04.06.1998 में उक्त रकबा उन व्यक्तियों के नाम से आवंटन ही नहीं होना बताया है। उक्त रकबा में से शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित नाम बीरबलराम , नन्दराम, नेतराम पिसरान टीकूराम को 50 बीघा रकबा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 8485 दिनांक 06.10.1971 द्वारा आवंटन किया गया है जबकि शिकायतकर्ता ने उनके बेटो के नाम से आवंटन होना बताया है। अतः शिकायत का कोई आधार नहीं पाया जाता है। इसलिए शिकायत खारिज की जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में अंकित भागीरथ पुत्र हेतराम , बीरबलराम पुत्र टीकूराम, नन्दराम पुत्र टीकूराम, बीरबलराम पुत्र सही राम व वेदप्रकाश पुत्र दौलतराम व लालचन्द पटवारी की पत्नी को आवंटन गलत होने की शिकायत की है। तहसीलदार रिपोर्ट कमांक कमांकः भू0अ0 / 97 / 2051 दिनांक 30.06.1997 एवं कमांकः भू0अ0 / 1929 दिनांक 04.06. 1998 में उक्त रकबा अप्रार्थीगण को आवंटन होना नहीं पाया जाता है। एवं लालचन्द पटवारी की औरत के नाम व बच्चों के नाम तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कोई रकबा नहीं है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन प्रतीत होती है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से एवं रेस्जूडिकेटा के प्रावधान लागू होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्री गंगानगर

Scanned with CamScanner